न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर (राज0)

अपील / रसद / 58 / 2017

सरपू उचित मूल्य दुकानदार ग्रांम पंचायत घोंसिंगा तहसील पहाड़ी जिला भरतपुर

.....

अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी द्वितीय जरिये पैरोकार रसद

.....रेस्पो0

अपील विरुद्व आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर दिनांक 13–9–2017 बाबत प्रकरण संख्या 39 / 17 व 79 / 16

निर्णय **दिनांक 13.3.2018**

अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 13–9–2017 के खिलाफ पेश की गई है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर ने अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने एव प्रतिभूति राशि जप्त सरकार किये जाने की आज्ञा दी गई है। अपीलान्ट ने आदेश से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो एवं पत्रावली तहत तलब की गई। अप्रार्थी की ओर से पेरोकार रसद उपस्थित। इसी दरम्यान एक प्रार्थना पत्र आदेश नियम 10 जा.दी. प्रार्थी मरियम,मकसूद, फतेहमोहम्मद असलूम ग्रांम जीराहेडा तहसील पहाडी की ओर से उनके अभिभाषक नीरपालसिंह ने बाबत बनाये जाने पक्षकार मुकदमा पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थीयान मरियम वगे. का कहना है कि प्रार्थी की शिकायत पर डीलर के खिलाफ कार्यवाही की गई है प्रार्थी को पक्षकार मुकदमा बनाया जावे। अपीलान्ट डीलर ने झूठे शपथ पत्र पेश किये गये हैं। हमें सुनवाई का अवसर दिया जावे। उन्होने यह भी बताया कि प्रार्थी गेंहू,चीनी का गबन किया है।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का कहना है कि प्रार्थी अपीलाधीन आदेश से प्रभावित पक्षकार नहीं है। प्रार्थना पत्र आदेश 10 जादी पर श्रीमान निर्णय लें। लिखित बहस पेश की गई। अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये बताया कि तहत न्यायालय ने अपीलान्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया है। उनका कहना है कि अपीलान्ट तहत न्यायालय में दिनांक 7.7.17 को उपस्थित आया और अपना जबाब पेश कर साक्ष्य को समय चाहा गया है। पुनः साक्ष्य हेतु दिनांक 17.8.17 नियत की गई। मंत्रालयिक कर्मचारीयों की हड़ताल होने से अपीलान्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया।

.....2

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

कर्मचारीयों की हड़ताल के बाद प्रार्थी को बिना किसी सूचना के पत्रावली में तारीख पेशी नियत की जाकर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। उन्होने ये भी कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश में आरोपों को बिना किसी साक्ष्य के प्रमाणित मानते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिया जावे। बिना किसी साक्ष्य सबूत के अपीलान्ट को दोषी मान लिया गया है। अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर सप्लाई बहाल किये जाने की आज्ञा दी जावे।

पैरोकार रसद ने अपने तर्को में जाहिर किया कि प्रार्थना पत्र पक्षकार बनाये जाने पर श्रीमान को निर्णय लेना है। अपीलाधीन आदेश सही पारित किया गया है। अपीलान्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का समय दिया गया है। अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रथमतः प्रार्थना आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पर विचार किया गया। प्रार्थीयान मरियम वगे. तहत न्यायालय में प्रकरण पक्षकार नहीं थे। अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्राधिकार पत्र निरस्ती आदेश के खिलाफ पेश की गई है जिससे प्रार्थी मरियम वगे. प्रभावित पक्षकार नहीं रहते हैं। न्यायालय हाजा द्वारा अपीलान्ट की प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने के अपीलाधीन आदेश के गुणावगुण पर पीड़ित पक्षकार को ही सुने जाने का अधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त होता है ना कि अतिरिक्त साक्ष्य/शिकायत पर विवेचन किया जाना । अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी0 अदालत तहत में पक्षकार मुकदमा नहीं होने के कारण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1रुल10सीपीसी काबिल निरस्त के रहता है।

तहत पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभय पक्षकारान के कथनों पर गौर किया गया। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस पर गौर किया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.9.2017 का अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश के पेज 5–6 विवेचन में अपना मत अंकित किया है किः–

> ''.....विभागीय प्रकरण संख्या 79/2016 में अप्रार्थी डीलर के द्वारा प्रस्तुत किये गये कारण बताओ नोटिस के जबाब के साथ उपभोक्ता पम्मी बेबा जुजरु जाति मेव निवासी जीराहेडा, श्री ओमप्रकाश पुत्र सोहनलाल जाति जाटव निवासी काकन खोहरी ग्रांम पंचायत घोसिंगा तहसील पहाडी, श्री शैकीन पुत्र शहीद जाति मेव निवासी जीरोहडा ग्रांम पंचायत घोसिंगा तहसील पहाडी, श्री हुरमत पुत्र खुदावक्स जाति सक्का निवासी काकन खोहरी ग्रांम पंचायत घोसिंगा तहसील पहाडी का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उपभोक्ता ने राशन डीलर से पूर्ण मात्रा में राशन सामग्री प्रापत करने की पुष्टि की है लेकिन अप्रार्थी डीलर अपने बचाव में उपभोक्ता श्री हमीदन/इसराईल तथा मगरी/लल्लू के साक्ष्य आदि प्रस्तुत नहीं कर सका है जबकि अप्रार्थी डीलर को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पत्रावली में कई अवसर दिये गये लेकिन अप्रार्थी डीलर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका है।

.....3

अप्रार्थी डीलर के द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ पत्रों को मान भी लिया जाये तो भी इन दोनों उपभोक्ताओं के साक्ष्य प्राप्त नहीं होने के कारण 13.30 किलो ग्रांम चीनी एवं 15 किलो ग्रांम गेंहू का गबन किया जाना स्थापित रहता। अप्रार्थी डीलर के द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 14.2.2017 के प्रस्तुत जबाब में केवल अप्रार्थी डीलर के द्वारा सभी उपभोक्ताओं को चीनी वितरित किया जाना अंकित किया है। प्रार्थी डीलर के द्वारा चीनी के वितरण की पुष्टि हेतु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जबकि अप्रार्थी डीलर ने अपने जबाब में उभोक्ता श्री मरीयम एवं खुर्शीद के शपथ पत्र प्रस्तुत करना अंकित किया है जबकि जबाब के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। नोटिस दिनांक 14.2.2017 में अंकित सभी उपभोक्ताओं के साक्ष्य प्राप्त नहीं होने के कारण 138 कि.ग्रांम चीनी का गबन किया जाना स्थापित रहता है। इस प्रकार अप्रार्थी डीलर के द्वारा कुल 151.30 किग्रांम चीनी एवं 15 किग्रांम गेहूं का गबन किा जाना स्थापित रहता है। विभागीय प्रकरण संख्या 39/2017 में अप्रार्थी डीलर न तो प्रकरण में स्वयं उपस्थित हुआ है और न ही उकसे द्वारा कारण बताओ नोटिस का जबाब प्रस्तुत किया गया है.....।"

उपरोक्त विवेचन से यह पाया जाता है कि अपीलान्ट पर लगाये गये आरोपों को तहत न्यायालय ने किसी साक्ष्य सबूत के आधार पर आरोपों को सिद्ध नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त तहत पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अदालत तहत में अपीलान्ट आदेशिका 7.7.2017 को तहत न्यायाल में उपस्थित हुआ और अपना जबाब पेश कर अतिरिक्त साक्ष्य के लिये समय दिये जाने का उल्लेख किया जाकर आगामी तारीख 27.7.17 वास्ते साक्ष्य नियत की गई है, पुनः डीलर को साक्ष्य के लिये समय दिया जाकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 17.8.17 वास्ते साक्ष्य नियत की गई है। मन्त्रालयिक कर्मचारियों के सामुहिक अवकास पर होने से पत्रावली नियत दिनांक 17.8.17 को पेशी पर नहीं आई है। आदेशिका दिनांक 30.8.17 में डीलर की अनुस्थिति दर्ज अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 13.9.2017 नियत की गई है। दिनांक 13–9–17 को अपीलान्ट डीलर की अनुपस्थित दर्ज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। तहत पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह माना जा सके कि अपीलान्ट डीलर को 30.8.17 को उपस्थित आने की सूचना हो। तहत न्यायालय में प्रकरण जब साक्ष्य में था तो उक्त परिस्थितियों में अपीलान्ट को आगामी तारीख पेशी पर उपस्थित आने की सूचना या जानकारी दिया जाना विधि सम्मत था। परन्तु तहत न्यायालय ने यहॉ ऐसा नहीं किया और इकतरफा में अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया है।

न्यायिक दृष्टि से कोई भी कानून तब लागू होता जब कि तथ्यात्मक आरोप साक्ष्य के आधार पर सिद्ध हो जावें। राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के किस प्रावधान में व प्राधिकार पत्र की किस शर्तों का किस रुप में उल्लंघन किया गया है, परीक्षण न्यायालय को साक्ष्य एवं सबूतों के आधार पर स्पष्ट किया जाना चाहिये था। परन्तु अपीलाधीन आदेश एवं तहत

.....4

न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से अपीलान्ट डीलर के विरुद्व आरोप पूर्णतः प्रमाणित होना का कोई विवेचन अपीलाधीन आदेश में नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश इकतरफा में वगेर अपीलान्ट की साक्ष्य एवं सुनवाई के ही पारित किये जाने के कारण अपीलाधीन आदेश को विधिसम्मत नहीं होने के कारण निरस्त योग्य पाते हैं। अस्तु अपील आंशिक स्वीकार कर प्रकरण अपीलान्ट को पुनः साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर आरोपों को मध्यनजर पृथक–पृथक बिन्दु पर विवेचना कर साक्ष्यों के आधार पर प्रार्थी को सुनवाई एवं जिरह का अवसर प्रदान करते हुये विधिसम्मत निर्णय लिये जाने हेतु प्रकरण पुनः निर्णय लिये जाने जिला रसद अधिकारी भरतपुर को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित पाते हैं

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.9.2017 निरस्त किया जाता है। डीलर की वितरण व्यवस्था तुरन्त प्रभाव से चालू की जाती है। प्रकरण जिला रसद अधिकारी भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत का समुचित अवसर देते हुये गुणावगुण के आधार पर मैरिट पर विधिसम्मत निर्णय पारित करें। प्रार्थीयान मरियम मकसूद वगै0 तहत न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने को स्वतन्त्र है। निर्णय प्रति के साथ तहत पत्रावली वापिस जिला रसद अधिकारी भरतपुर को लोटाई जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय आज दिनांक 13.3.2018 को सुनाया गया ।

(डा.एन.के. गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर